# कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव (छ.ग.)

## -:: <u>विज्ञापन</u> ::-

जिला कोण्डागांव में बस्तर फाईटर आरक्षक के दर्शाये अनुसार पदों पर नियुक्ति के लिए आगे वर्णित कार्यक्रम के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इस विज्ञापन द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक <u>पुरूष/महिला उम्मीदवारों</u> (जिले के मात्र स्थानीय निवासी) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

उपरोक्तानुसार इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र (नमूना संलग्न) में भरकर **कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव** में **कार्यालयीन समय** पर जमा कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 12.11.2021 के सायं 05.30 बजे** तक सीधे जमा किया जा सकता है। जो आवेदक अपना आवेदन पत्र डाक द्वारा भेजना चाहते हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा तथा उसकी पावती की रसीद भर्ती हेतु निर्धारित दिनांक को अपने साथ लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिनांक **12.11.2021** के **सायं 05.30 बजे** तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाये। **इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य/मान्य नहीं किये जा सकेंगे**।

## रिक्त पदों की संख्या निर्धारण :-

राज्य शासन एवं पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के तहत सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

| **जिले का नाम** | **रिक्त पदों की संख्या (जाति वर्गवार)** | | | | **योग** | **जहां आवेदन पत्र जमा होगा** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **अनारक्षित** | **अपिव** | **अजा** | **अजजा** | | |
| कोण्डागांव | 36 | 42 | 12 | 210 | **300** | कार्या0पुलिस अधीक्षक, कोण्डागांव |

(भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।)

(क)- भूतपूर्व सैनिकों को शासन के निर्देशानुसार समस्तर (होरीजेन्टल) 10 प्रतिशत आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन किया जायेगा।

(ख)- स्वयंसेवी नगरसैनिकों को शासन के निर्देशानुसार समस्तर (होरीजेन्टल) 25 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जायेगा। केवल 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही नगर सैनिक कोटे में आरक्षण की पात्रता होगी ।

(ग)- छ0ग0 शासन के आदेशानुसार महिलाओं को समस्तर (होरीजेन्टल) आरक्षण का लाभ दिया जावेगा । शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए समस्तर एवं प्रभागवार 30 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। विभाग, मंत्रीपरिषद के पूर्व अनुमोदन से, नियुक्ति हेतु इस सीमा को 10 कम किया जा सकता है ।

(घ)- सहायक आरक्षकों के लिए 15 प्रतिशत समस्तर आरक्षण लागू होगा।

**वेतनमान** - शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान मेट्रिक्स अंतर्गत लेवल-4 तथा समय-समय पर देय भत्ते।
(चयनित अभ्यर्थियों पर (वर्ष 2004 से प्रभावी) नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी)